

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 1537 / 11-सी-FP/UP/TRANS/22022/2016, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 7, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- पावर ग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0 झाँसी द्वारा 765 के0वी0 द्विपक्षीय लिलो सतना-ग्वालियर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण में झाँसी वन प्रभाग में 0.1742 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 08 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 0.2886 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक-8बी/यू0पी0/04/29/2017/एफ0सी0/608, दिनांक- 21.11.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण को लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने में विलम्ब के कारण, आप द्वारा चाही गयी कतिपय बिन्दुओं की सूचना का निराकरण प्रेषित करने में विलम्ब हुआ, जिसके संबंध में उप प्रबन्धक, टी0एल0 (निर्माण), झाँसी का पत्रांक-पश्चिम क्षेत्र II/झाँसी/सं पथ निर्माण/432, दिनांक 28.11.2017 की छायाप्रति मय संशोधित अधिकृत पत्र के साथ संलग्न है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में विलम्ब की माफी (Delay Condon) प्रदान करते हुये आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

प्रवदीय
(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- 1537 / 11-सी- FP / UP / TRANS / 22022 / 2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झाँसी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी एवं जालौन स्थान-उरई।
4. मुख्य प्रबन्धक, पावर ग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0, बाहर दतिया गेट, झाँसी।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।